भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1673
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क-संपर्क से वंचित बस्तियाँ

1673. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क से वंचित ऐसी कितनी बस्तियाँ हैं जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के अंतर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच में सुधार लाने में पीएमजीएसवाई-तीसरे चरण के प्रभाव का कोई विशिष्ट मूल्यांकन किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) भारत सरकार ने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरुस्थलीय क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100+ की आबादी वाली 25,000 असंबद्ध बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएमजीएसवाई-IV को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2029 है।

मंत्रालय द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की पूर्व-अधिकार प्राप्त और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में जांच की जाती है। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत की जाती हैं और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो राज्य के लिए उन्हें मंजूरी दे दी जाती है। जहाँ तक गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र का संबंध है,

पीएमजीएसवाई-IV के तहत मंजूरी के लिए राज्य से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत राज्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) के पास जांच चरण में हैं। दाहोद लोकसभा क्षेत्र के लिए गुजरात में पीएमजीएसवाई-IV के तहत किए गए बसावटों के सर्वेक्षण का विवरण निम्नानुसार है:-

दाहोद लोकसभा क्षेत्र के जिले	कुल सर्वेक्षण	राज्य द्वारा अनुमोदित संपर्कविहीन बसावट	पात्र बसावट	एनआरआईडीए द्वारा सत्यापित	सत्यापन हेतु लंबित
दाहोद	1381	1310	950	682	268
महीसागर	431	415	108	100	8
कुल योग	**1812**	**1725**	**1058**	**782**	**276**

(ख): पीएमजीएसवाई-III को वर्ष 2019 में मौजूदा थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के उन्नयन के माध्यम से मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू किया गया था, जो बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ते हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को महत्व देते हुए प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के उन्नयन पर केंद्रित था।

पीएमजीएसवाई-III के तहत, गुजरात राज्य के लिए 2,955.87 किमी लंबाई वाली 298 सड़कों और 191 पुलों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से, दाहोद जिले के लिए 161.48 किमी लंबाई वाली 13 सड़कें और 9 पुल मंजूर किए गए थे तथा महीसागर जिले के लिए 96.96 किमी लंबाई वाली 11 सड़कें और 1 पुल मंजूर किया गया था।

दाहोद लोकसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई-III के प्रभाव का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) और विश्व बैंक द्वारा पीएमजीएसवाई के लिए किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि इसका शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच, रोजगार सृजन, बेहतर कृषि मूल्य आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएमजीएसवाई ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, जैसे कि आसपास के शहरी क्षेत्रों में ही जहाँ लोग दैनिक रूप से आवागमन कर सकते हैं।

******